केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067
******

C. I. C. /के० सू० आ०
RECEIVED
04 APR 2025
D. No. ....
Initials........

प्रथम अपील सं	CICOM/A/P/25/00076
संदर्भ संचिका सं .	CICOM/R/P/25/00009
अपीलकर्ता	श्री धीरज राजपूत 82, न्यू पंचशील कॉलोनी, मुसाखेड़ी, इंदौर - 452007

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	27.12.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	06.01.2025
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	30.01.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री बिजेंद्र कुमार CPIO (DR to IC AR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	01.03.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	11.03.2025
निर्णय की तारीख	04.04.2025

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 27.12.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : .

1.) अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सेकंड अपील क्र. CIC/PNBNK/A/2022/127163 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2023 के परिपालन में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा माननीय न्यायालय को प्रेषित समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करें।

2.) अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सेकंड अपील क्र. CIC/PNBNK/A/2022/129807 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2023 के परिपालन में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा माननीय न्यायालय को प्रेषित समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करें।

3.) अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सेकंड अपील क्र. CIC/PNBNK/A/2022/127163 एवं CIC/PNBNK/A/2022/129807 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2023 के पश्चात आज दिनांक तक उक्त प्रकरण की कोई भी पेशी (उपस्थिति) दिनांक प्रेषित नहीं की गई है। तत्संबंधी खुलासा करने की कृपा करें।

4.) अपीलार्थी द्वारा CIC (Delhi) को प्रेषित पत्र दिनांक 09.11.2024 (सलग्र), जिसका Diary No. 136514 है, के संदर्भ में आज दिनांक तक की गई कार्यवाही की प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री बिजेंद्र कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 30.01.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

"बिंदु सं 1. & 2.) - द्वितीय अपील क्रमांक CIC/PNBNK/A/2022/127163 और CIC/PNBNK/A/2022/129807 में पारित आदेश के परिपालन में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोग की प्रेषित दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि आप सूचना का अधिकार, 2005 (2005 का 22) की उपधारा 27 के खंड (बी) और (सी) के नियम 4 के तहत अपेक्षित शुल्क (चौबीस रूपए) (कुल 12 पृष्ठ प्रत्येक पृष्ठ के लिए 2/- रुपये) जमा करके प्राप्त कर सकते है।

बिंदु सं 3 & 4.) - मामला प्रक्रियाधीन है।

3. प्रथम अपील का आधार

"It is further noted that in point 3 of the aforementioned letter, it was mentioned that the matter is under process. However, since the orders passed in second Appeal No. CIC/PNBNK/A/2022/127163 dated 09.08.2023 and Appeal No. CIC/PNBNK/A/2022/129807 dated 08.08.2023 no hearing date has been communicated to the appellant till date. This appears to be negligence on the part of the Section Officer Incharge due to which the final order has not been passed yet. This delay violates the procedure prescribed Section 19 (1) of the Act, causing irreparable to the applicant. Therefore, kindly issue appropriate directions in the interest of justice. It is also noted that in point 4 of the aforementioned letter, it was mentioned that the matter is under process. However, the applicant has not been provided with a copy of the action taken to date regarding the letter dated 09.11.2024 (Diary No 136514) sent to CIC (Delhi). It is evident that no departmental action has been taken by the Section Officer Incharge in reference to the said letter. This delay violates the procedure

prescribed under Sections 7 (1) and 19 (1) of the Act, causing irreparable loss to the applicant. Therefore, kindly issue appropriate directions in the interest of justice. The information requested under the Right to Information Act, 2005 has not been provided to date, causing statutory financial loss to the applicant. This delay is a clear violation of the time limits prescribed under Sections 7(1) and 19 (1) of the Right to information Act, 2005. Due to the lack of the requested information, the applicant is facing serious obstacles in exercising their statutory and legal rights. Therefore, the applicant humbly requests your immediate attention and urges that the requested information be provided at the earliest."

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/25/00009 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक 04.04.2025 .

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

(8) 04/04/25